

26

राजस्थान सरकार



कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं, टोंक

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र - राज

क्रमांक 24 / टोंक / 2012-13

प्रमाणित किया जाता है कि ~~आदित्य लोककल्याण~~

~~एवं शिक्षण संस्थान झालपुरा~~ राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण  
अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संस्था 28,1958) के अन्तर्गत  
रजिस्ट्रीकरण आज किया जाता है ।



यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की सील

से ~~राजस्थान~~ दिनांक 27 माह 08 सन् दो हजार बारह को दिया गया है ।

रजिस्ट्रार संस्थाएं  
टोंक

सत्य प्रतिलिपी  
रजिस्ट्रार संस्थाएं  
टोंक (राज.)